भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2986
उत्तर देने की तारीख 5 अगस्त, 2026

उत्तर प्रदेश में फाइबर-टू-द-होम कनेक्शन

2986. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) उत्तर प्रदेश में संचालित फाइबर-टू-द-होम कनेक्शन प्रदान करने के लिए लक्षित ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है तथा इनमें से कितनी ग्राम पंचायतों को वास्तव में उक्त कनेक्शन प्रदान किए गए हैं और वर्तमान में विशेष रूप से कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित कितने गांव सेवा प्रदान करने हेतु तैयार हैं;
(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय तकनीकी दल के अभाव के कारण इंटरनेट सेवाएं कई माह तक बाधित रहती हैं तथा यदि हाँ, तो विशेष रूप से कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उत्तर प्रदेश के दूरस्थ गांवों में, विशेष रूप से कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में, वाई-फाई हॉटस्पॉटों की लक्षित दर की तुलना में वास्तविक सक्रियकरण दर का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का विशेष रूप से कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित अंतिम छोर तक संपर्क लक्ष्यों को बार-बार पूरा करने में विफल रहने वाली परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों पर जुर्माना लगाने का विचार है तथा यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) से (घ) भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में 59,290 ग्राम पंचायतों सहित रिंग टोपोलॉजी का उपयोग करते हुए देश भर में सभी 2.65 लाख ग्राम पंचायतों (जीपीएस) में नेटवर्क के उन्नयन/निर्माण के लिए 04.08.2023 को संशोधित भारतनेट परियोजना (एबीपी) को मंजूरी दी है। दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, भारतनेट का उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के

10,941 ग्राम पंचायतों में कार्यरत एफटीटीएच कनेक्शनों की मौजूदगी है, जिनमें कैराना संसदीय लोकसभा क्षेत्र की 42 ग्राम पंचायतें भी शामिल हैं।

संशोधित भारतनेट परियोजना के अंतर्गत, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईएएस) के साथ हस्ताक्षरित समझौतों में 10 वर्षों के लिए भारतनेट नेटवर्क के सेवा स्तर आश्वासन (एसएलए) आधारित संचालन और रखरखाव के प्रावधान शामिल हैं। इन समझौतों में ग्राम पंचायत से गैर-ग्राम पंचायत गांवों तक अंतिम छोर कनेक्टिविटी के प्रावधान में देरी और एसएलए के उल्लंघन (कनेक्टिविटी में व्यवधान सहित) के लिए दंड के प्रावधान शामिल हैं।

प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (पीएम-वाणी) ढांचे के अंतर्गत, सेवा प्रावधान पूरी तरह से बाजार-संचालित है, जो स्थानीय क्षेत्र में तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर स्थानीय उद्यमशीलता पहल पर निर्भर करता है। सरकार की भूमिका नीति सक्षमता तक सीमित है। पीएम-वाणी फ्रेमवर्क के अंतर्गत सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉटों के प्रावधान के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, कैराना संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम-वाणी योजना के अंतर्गत कुल 8,160 सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट काम कर रहे हैं।
